न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेड़ता
मेड़ता न्याय क्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	–	**सुनीता आर.जे.एस.**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	**948/2024**
सी.आई.एस. संख्या	–	**948/2024**
सीएनआर नं	–	**RJMR020021572024**
एफ. आई. आर. संख्या	–	**219/2024**
आरक्षी केन्द्र	–	**पुलिस थाना,मेड़ता सिटी**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, मेड़ता **.....अभियोगी**

बनाम

सम्पतलाल पुत्र पेमाराम, उम्र 45 साल, निवासी खारड़ा, पुलिस थाना रोहिट, जिला पाली, राजस्थान।

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः–
अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।

श्री अशोक कुमार, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

निर्णय **दिनांक: 12.03.2026**

01– थानाधिकारी पुलिस थाना, मेड़ता सिटी की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी दिनांक 22.11.2024 को अभियुक्त सम्पतलाल के विरुद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता में न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.06.2024 को प्रार्थी श्री रूस्तम ने इस आशय की रिपोर्ट राजकीय चिकित्सालय मेड़तासिटी पर पेश की कि उसके पिताजी दरियाव मोटरसाइकिल नंबर आरजे–21–सीएस–0220 से जसनगर से मेड़ता सिटी आ रहे थे कि समय करीबन प्रात 8.00–8.30 बजे धनेरिया लील से करीबन एक कि.मी.

मेड़ता की तरफ पहुंचे तभी सामने से एक कार नम्बर आरजे–19–सीए–7417 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर गलत साईड में आकर सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर व शरीर पर गंभीर चोटे आई एवं दुर्घटना में कई चोटों के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसे इस दुर्घटना की सुचना टोडर पुत्र श्री बरकतुल्ला निवासी हास कलां ने फोन पर दी एवं इन्होंने दुर्घटना होते हुए देखी। उसके पिताजी को राजकीय चिकित्सालय मेड़तासिटी लेकर आये। यह दुर्घटना कार चालक की गलती से हुई....आदि।

03– उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मेड़ता शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 219/2024 अन्तर्गत धारा 279,304ए भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध की गई तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04– प्रकरण में बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप सारांश पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गए तो अभियुक्त द्वारा उक्त आरोपों से इन्कार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

05– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित गवाहान को न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित करवाया गया –

<u>–:अभियोजन न्यायालय गवाह सूची:–</u>

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	सलीम मोहम्मद	गवाह
पीडब्ल्यू–2	सफी मोहम्मद	गवाह
पीडब्ल्यू–3	रूस्तम खान	ताईद एफ.आई.आर.
पीडब्ल्यू–4	बलदेव राम	मौतबीर नक्शा मौका
पीडब्ल्यू–5	जगदीश सिंह	मौतबीर नक्शा मौका
पीडब्ल्यू–6	नरेश कुमार	गवाह

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाए–

<u>–:अभियोजन/न्यायालय प्रदर्श सूची:–</u>

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	फर्द पंचनामा लाश	प्रदर्श पी–1
2	नक्शा मौका व हालात मौका	प्रदर्श पी–2
3	फर्द जप्ती क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल 0220	प्रदर्श पी–3

4	फर्द सुपुर्दगीनामा लाश मृतक दरियाव	प्रदर्श पी–4
5	फर्द सूरतेहाल लाश मृतक दरियाव	प्रदर्श पी–5
6	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–6
7	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी रूस्तम	प्रदर्श पी–7
8	आई.आर. बाबत लिखित पत्र	प्रदर्श पी–8
9	पी.एम.आर. बाबत लिखित पत्र	प्रदर्श पी–9
10	शव के पोस्टमॉर्टम हेतु तहरीर	प्रदर्श पी–10
11	चोट प्रतिवेदन सम्पतलाल	प्रदर्श पी–11
12	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट	प्रदर्श पी–12
13	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–13
14	फर्द जप्ती कार आरजे–19–सीए–7417	प्रदर्श पी–14
15	फर्द जप्ती असल आर.सी. कार	प्रदर्श पी–15
16	मालखाना की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–16
17	मूल आर.सी.	प्रदर्श पी–17
18	आमद व रवानगी की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी–18 व 19
19	नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट	प्रदर्श पी–20
20	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट दुर्घटनाग्रस्त कार व मोटरसाइकिल	प्रदर्श पी–21

06– तत्पश्चात् अभियुक्त का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने कथन किया कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

07– बहस अन्तिम सुनी गई।

08– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.06.2024 को समय सुबह करीब 08–8:30 बजे पर धनेरिया लील से करीबन 1 कि.मी. मेड़ता सिटी की तरफ वाहन कार आरजे–19–सीए–7417 को गलत दिशा, तेजगति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल पर नंबर आरजे–21–सीएस–0220 को सामने से आकर टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप मोटरसाईकिल पर सवार परिवादी के पिता दरियाव की उक्त् दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु कारित हुई? यदि हाँ तो अभियुक्त किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है"?

09– बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी ने तर्क किया कि पत्रावली पर प्रस्तुत चिकित्सकीय साक्ष्य पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से परिवादी के पिता की मृत्यु होना स्वीकृत तथ्य है। प्रकरण के सभी गवाह अपने कथनों पर अखण्डित रहे हैं तथा प्रकरण में दुर्घटना कारित करने

वाले वाहन की जप्ती भी प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का कथन किया।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाए गए समस्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। परिवादी स्वयं भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

11– बहस उभयपक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु 06 गवाहान को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है, जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्नप्रकार हैः-

12– साक्षी पीडब्ल्यू–1 सलीम मोहम्मद प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने शपथ पर कथन किया है कि आज से करीब साल–डेढ साल पहले उसके चाचा दरियाव का एक्सीडेंट हो गया था तब वे मेड़ता सिटी आये थे। उन्होंने डेड बॉडी ली थी, उसके बाद वे चले गए थे। उसके बाद कागज बनाये थे, उसे नहीं पता है। पुलिस ने कुछ कागजों पर साईन करवाये थे, जो अस्पताल में बनाये थे, क्या लिखा, उसे पता नहीं है। वह वापस मेड़ता नहीं आया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने स्वीकार किया कि पोस्टमॉर्टम करने से पहले पंचनामा लाश प्रदर्श पी–1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर करवाये थे। आगे स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–1 23.06.2024 को बनाया था। उनकी उपस्थिति में दूसरे दिन घटना स्थल का मौका मुआयना कर प्रदर्श पी–2 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। यह सही है कि फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि दरियाव उसे सगे चाचा है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 पर उसके हस्ताक्षर है, जो दोपहर 12 बजे किये थे। यह कहना सही है कि घटनास्थल सुनसान इलाके में नहीं है।

13– साक्षी पीडब्ल्यू–2 सफी मोहम्मद जिसने शपथ पर कथन किया है कि आज से करीब ढ़ाई साल पहले उसके छोटे भाई दरियाव का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पुलिस ने मेड़ता अस्पताल में शव के कागज बनाये थे तथा पोस्टमॉर्टम कर शव सुपुर्द किया था। प्रदर्श पी–1 पर सी से डी, सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–4 पर ए से बी, सूरतेलाश प्रदर्श पी–5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया कि दरियाव

उसका छोटा भाई है। प्रदर्श पी–1, 4,5 में क्या लिखापढ़ी की है, उसे पता नहीं है। उसके तो इन फर्दों पर खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवाये थे।

14– साक्षी पीडब्ल्यू–3 रूस्तम खान प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने शपथ पर कथन किया है कि आज से करीब डेढ़ साल पहले उसके पिता दरियाव का जसनगर में कार से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आई चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। कार लाल रंग की थी। उसने रिपोर्ट पेश की थ्झी, उसमें नंबर नहीं लिखवाये थे, क्योंकि वह अनपढ़ था। एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसे पता नहीं, क्योंकि वह मौके पर नहीं था। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 गवाह को दिखाई गई, जिस पर गवाह ने कहा कि वह अनपढ़ है, इसमें क्या लिखा है, उसे पता नहीं, उसने केवल हस्ताक्षर किये थे। यह सही है कि प्रदर्श पी–2 पर उसके ही हस्ताक्षर है। उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। यह कहना सही है कि पंचनामा लाश प्रदर्श पी–1 पर इ से एफ, सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–4 तथा सूरतेहाल लाश प्रदर्श पी–5 तथा फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–3 पर सी से डी उसके ही हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि दरियावजी उसके पिता है। प्रदर्श पी–1, 2, 3, 4, 5, 6,7 में क्या लिखापढ़ी की है, उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी–6 पुलिस वालों ने थाने पर लिखी थी। उसके पिताजी हेलमेट पहनकर गाड़ी नहीं चलाते थे।

15– साक्षी पीडब्ल्यू–4 बदलदेव राम जिसने शपथ पर कथन किया है कि वह दिनांक 23.06.2024 को एसीएचसी मेड़ता सिटी में एमओ के पद पर कार्यरत था। उस रोज पुलिस थाना मेड़ता सिटी के प्रतिवेदन प्रदर्श पी–8, 9 व 10 जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है पर मजरूब सम्पतलाल के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना व मृतक दरियाव खान का पीएमआर रिपोर्ट तैयार की थी। मजरूब सम्पतलाल का चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 11 तैयार किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब के पहचान चिन्ह अंकित है। चोट निम्न प्रकार है– चोट संख्या 1– खरोंच सिर के बायी ओर 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी ताजा खून आ रहा था। उपरोक्त चोट साधारण प्रकृति व कुंदाला हथियार से कारित थी। उक्त चोट की अवधि ताजा व छः घंटे के भीतर की थी। उसी रोज मृतक दरियाव खान का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 तैयार किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर, सी से डी मृत्यु का कारण, इ से एफ शरीर पर आयी चोटों का वर्णन है। मृतक दरियाव खान का मृत्यु का

कारण कोमा व शॉक है, जो कि मस्तिक पर गंभीर चोट व साथ मे शरीर पर अन्य चोटों के सम्मिलित प्रभाव से हुई। मृत्यु की अवधि पोस्टमॉर्टम से 12 घण्टे के भीतर की थी। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति तेजगति से सिर के बल कठोर धरातल पर गिरता है तो उपरोक्त चोटें आना संभव है। यह कहना सही है कि मृतक की पहचान उसके बेटा रूस्तम ने की थी। पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 11 व 12 में आयी हुई चोटे कठोर धरातल पर सिर के बल गिरने से चोट आना संभव है।

16– साक्षी पीडब्ल्यू–5 जगदीश सिंह जिसने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 23.06.2024 को वह पीएस मेड़ता सिटी एच.सी. के पद पर कार्यरत था। उस रोज धनेरीया लील व कात्यासनी के बीच सड़क आम पर मोटरसाइकिल व कार की सूचना धाने पर मिलने पर मौका पर पहुंचे। मौका से मृतक को अस्पताल पहुंचाया तथा वाहनों को सुरक्षार्थ थाने पहुंचाया। मृतक के संबंध में कार्यवाही करने सीएचसी मेड़ता पहुचां वहां एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 मृतक के पुत्र रूस्तम ने उसके समक्ष पेश की थी, जिस पर इ से एफ कार्यवाही पुलिस उसने अस्पताल मे दर्ज कर जी से एच अपने हस्ताक्षर किये थे। अस्पताल मे मृतक के शव का फर्द सूरते हाल लाश प्रदर्श पी–5 बनाकर ए से बी सी से डी मौतबीरान के हस्ताक्षर कराये, व इ से एफ अपने हस्ताक्षर किये। मृतक की मृत्यु का कारण जानने हेतु पंचनामा लाश प्रदर्श पी–1 बनाया था, जिस पर ए से लगायत जे तक पंचान के तथा के से एल उसके हस्ताक्षर है। जिसके पश्चात शव के पोस्टमॉर्टम हेतु तहरीर प्रदर्श पी–10 उसके द्वारा दी गयी थी जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है तथा पोस्टमॉर्टम करवाया जाकर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावलो की गयी। बाद पोस्टमॉर्टम मृतक का शव जरिये फर्द प्रदर्श पी–4 सुपुर्द किया गया, जिस पर ए से बी सी से डी मौतबीरान, इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दुर्घटना में घायल मजरूब सम्पतलाल की चोटो का मुआयना बाबत तथा मृतक की पीएमआर तहरीर प्रदर्श पी 8 व 9 है, जिस पर ए से बी स्थानो पर चिकित्सा अधिकारी के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब की आई.आर. प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी थी। थाना पहुचकर प्रदर्श पी–6 इंचार्ज थानाधिकारी श्री रामस्वरूप एच.सी. के समक्ष पेश की गयी थी। जिन्होंने प्रदर्श पी–6 के पृष्ठ भाग पर आई से जे कार्यवाही पुलिस अंकित कर के से एल भाग पर उसके हस्ताक्षर कराये गये थे, एम से एन अपने हस्ताक्षर किये तथा प्रदर्श पी–6 के आधार पर एफआईआर प्रदर्श पी

13 दर्ज की थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान उसे सुपुर्द हुआ था। दौराने अनुसंधान नक्शा मौका मय हालात प्रदर्श पी–2 बनाया था जिस पर ए से लगायत एफ तक मौतबीरान के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। मौका से सुरक्षित लाकर खडी की गयी मोटरसाइकिल आरजे 21 सीएस 0220 को जरिये फर्द प्रदर्श पी–3 जप्त किया गया जिस पर ए से बी सी से डी मौतबीरान व इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। घटना के दिन ही मौके से लाकर थाने मे सुरक्षार्थ खडी करायी गयी। कार आरजे 19 सीए 7417 को जरिये फर्द प्रदर्श पी–14 कब्जा पुलिस मे लिया गया जिस पर ए से बी सी से डी मातबीरान, इ से एफ वाहन मालिक सम्पतलाल के हस्ताक्षर कराये थे, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा वाहनो का मेके. निकल मुआयना करवाया जाकर मुआयना रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। जप्तशुदा वाहन आरजे 19 सीए 7417 के पंजीकृत स्वामी श्री सम्पतलाल ने असल आरसी पेश की जिसे जरिये फर्द प्रदर्श पी 15 कब्जा पुलिस में लिया गया जिस पर ए से बी सी से डी मौतबीरान इ से एफ सम्पतलाल व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा वाहनों को थाना के मालखाना में जमा कराया था। इसके इंद्राज की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–16 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फूल आर.सी. प्रदर्श पी–17 है। घटना के दिन घटनास्थल पर जाने की रवानगी तथा थाना पर आमद की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–18 व 19 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल के दस्तावेजों की फोटो शामिल पत्रावली की। जप्तशुदा वाहन को न्यायालय के आदेश के अनुसार सुपुर्दगी पर दिया गया तथा फोटो शामिल पत्रावली किये गये। गवाहों के बयान उनके बताये अनुसार दर्ज किये गये। वाहन मालिक सम्पतलाल को नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी–20 उसके द्वारा दिया गया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिस पर वाहन मालिक द्वारा प्रदर्श पी 20 पर ही ए से बी जवाब नोटिस देकर सी से डी अपने हस्तांक्षर कर दिये, एक्स स्थान पर वाहन मालिक का फोटो चस्पा है। बाद अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी श्री राजवीर सिंह को सुपुर्द की थी जिन्होने उसके अनुसंधान के आधार पर मुलजिम सम्पतलाल के खिलाफ अंतर्गत धारा 279, 304ए आईपीसी मे प्रमाणित मानकर चालान न्यायालय हाजा मे पेश किया। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी–6 मोर्चरी मे लिखी थी। गवाहों के बयान उसने लिये थे, जो गवाह मृतक के परिवार के ही थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 उसके ध्यान में पहले से था।

17– साक्षी पीडब्ल्यू–6 नरेश कुमार जिसने शपथ पर कथन किया है कि दिनांक 04.07.2024 को वह पीएस मेडता सिटी एफसी के पद पर कार्यरत था। उस रोज थाना के मुकदमा नंबर 219/24 में जब्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल आरजे 21 सीएस 0220 तथा कार आरजे 19 सीए 7417 का मैकेनिकल मुआयना कर मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–21 बनायी थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिरह द्वारा अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने कथन किया कि मैकेनिकल मुआयना उसने थाने में खडी गाडियों का ही किया था। यह कहना गलत है कि उसने जब मैकेनिकल मुआयना किया तब उक्त गाडियां चालू हालत में हो। यह कहना सही है कि उसकी रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि उसने उक्त गाडियों को चलाकर देखा हो।

18– पत्रावली का पुनः ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में न्यायालय का विवेचन व निष्कर्ष निम्न प्रकार है कि घटना के संबंध में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 परिवादी रूस्तम द्वारा पेश की गई है, जिसमें उसने कथन किया कि उसके पिताजी दरियाव दिनांक 23.06.2024 को मोटरसाइकिल नंबर आरजे–21–सीएस–0220 से जसनगर से मेड़ता सिटी आ रहे थे कि समय करीबन प्रात 8.00–8.30 बजे धनेरिया लील से करीबन एक कि.मी. मेड़ता की तरफ पहुंचे तभी सामने से एक कार नम्बर आरजे–19–सीए–7417 के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर गलत साईड में आकर सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर व शरीर पर गंभीर चोटे आई एवं दुर्घटना में कई चोटों के कारण मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रकरण का परिवादी रूस्तम अभियोजन साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–3 के रूप में परीक्षित हुआ है। उसने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व उसके पिता दरियाव का जसनगर में एक कार से एक्सीडेंट हो गया था, जिससे आई चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसने बताया कि कार लाल रंग की थी, किंतु वह अनपढ़ होने के कारण रिपोर्ट में वाहन का नंबर नहीं लिखवा सका। उसने यह भी कहा कि दुर्घटना किस प्रकार हुई, इसकी उसे जानकारी नहीं है क्योंकि वह घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था। अभियोजन द्वारा जिरह में उसने स्वीकार किया कि पंचनामा लाश प्रदर्श पी–1, नक्शा मौका प्रदर्श पी–2, फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–3, सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–4 तथा सूरतेहाल लाश प्रदर्श पी–5 पर उसके हस्ताक्षर हैं, किंतु उनमें क्या लिखा है इसकी जानकारी उसे नहीं है। उसने यह भी कहा कि लिखित रिपोर्ट पुलिस द्वारा

लिखी गई थी और उसने केवल हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार यह गवाह घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करता, इसलिए इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। इसी प्रकार पीडब्ल्यू–1 सलीम मोहम्मद ने कहा कि उसके चाचा दरियाव का एक्सीडेंट हुआ था और वह मेड़ता सिटी आकर शव लेकर चला गया था। पुलिस ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, जिनके विषय में उसे जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षा में उसने पंचनामा लाश प्रदर्श पी–1, नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 तथा फर्द जप्ती मोटरसाइकिल प्रदर्श पी–3 पर हस्ताक्षर स्वीकार किए, परंतु दुर्घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए इसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया। पीडब्ल्यू–2 सफी मोहम्मद ने कहा कि उसके भाई दरियाव का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द किया। उसने पंचनामा लाश, सुपुर्दगी लाश व सूरतेहाल लाश पर हस्ताक्षर स्वीकार किए, किंतु जिरह में कहा कि इन दस्तावेजों में क्या लिखा है इसकी जानकारी नहीं है। पीडब्ल्यू–4 डॉ. बदलदेव राम ने पोस्टमार्टम कर मृत्यु का कारण कोमा व शॉक बताया और जिरह में स्वीकार किया कि ऐसी चोटें सिर के बल कठोर धरातल पर गिरने से भी संभव हैं। पीडब्ल्यू–5 जगदीश सिंह ने अनुसंधान की कार्यवाही बताते हुए पंचनामा, सूरतेहाल व वाहन जब्ती की बात कही तथा जिरह में बताया कि गवाह मृतक के परिवारजन थे। अंत में पीडब्ल्यू–6 नरेश कुमार ने जब्तशुदा वाहनों का मैकेनिकल निरीक्षण कर रिपोर्ट दी और जिरह में कहा कि निरीक्षण थाने में खड़ी अवस्था में किया गया था। इन बयानों से स्पष्ट है कि कोई भी गवाह दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

उपरोक्त समस्त साक्ष्यों के परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रकरण का मुख्य गवाह एवं परिवादी रूस्तम खान स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और उसने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। अन्य गवाह सलीम मोहम्मद एवं रूस्तम खान को पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा उन्होंने दुर्घटना के संबंध में कोई स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। सफी मोहम्मद ने भी दस्तावेजों में क्या लिखा गया है इसकी जानकारी से इनकार किया है। चिकित्सकीय साक्ष्य केवल मृत्यु का कारण दर्शाते हैं और उससे यह सिद्ध नहीं होता कि दुर्घटना अभियुक्त की लापरवाही से ही हुई थी। अनुसंधान अधिकारी व मैकेनिकल निरीक्षक के बयान मात्र औपचारिक प्रकृति के हैं और वे दुर्घटना के वास्तविक कारण को सिद्ध नहीं करते। प्रकरण में मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए

गए हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचनामा लाश, सूरतेहाल लाश, सुपुर्दगी लाश, नक्शा मौका, फर्द जप्ती वाहन, मेडिकल रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सम्मिलित हैं। गवाह पीडब्ल्यू–4 डॉ. बदलदेव राम द्वारा मृतक दरियाव खान का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें मृत्यु का कारण कोमा व शॉक बताया गया है, जो मस्तिष्क पर आई गंभीर चोटों के कारण हुआ। इसी प्रकार घायल सम्पतलाल का चोट प्रतिवेदन भी तैयार किया गया, जिसमें आई चोटों को साधारण प्रकृति का बताया गया है। प्रकरण में परिवादी द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई तथा अनुसंधान के दौरान पंचनामा लाश, सूरतेहाल लाश, सुपुर्दगी लाश, नक्शा मौका एवं वाहनों की जप्ती संबंधी दस्तावेज तैयार किए गए। इसके अतिरिक्त जब्तशुदा मोटरसाइकिल एवं कार का मैकेनिकल निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। ये सभी दस्तावेज प्रकरण की औपचारिक अनुसंधान कार्यवाही को दर्शाते हैं, किंतु इनसे भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं होता कि दुर्घटना अभियुक्त की लापरवाही या तेजगति से वाहन चलाने के कारण ही घटित हुई थी। दंड विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने आरोप संदेह से परे सिद्ध करने होते हैं। यदि साक्ष्यों से संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कोई भी ऐसा विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है, जिससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो सके कि दुर्घटना अभियुक्त द्वारा वाहन को तेजगति व लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। मुख्य गवाहों के पक्षद्रोही हो जाने तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के अभाव में अभियोजन की कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः समस्त साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

आदेश

19– परिणामतः अभियुक्त सम्पतलाल पुत्र पेमाराम, उम्र 45 साल, निवासी खारड़ा, पुलिस थाना रोहिट, जिला पाली, राजस्थान को अपराध अन्तर्गत धारा धारा 279 एवं 304–A भारतीय दंड संहिता के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत् लिए गए जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

20– अभियुक्त को धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस हजार रूपये के

जमानत व मुचलके पेश करने का आदेश दिया जाता है, जो आगामी छः माह के लिए प्रभावी रहेंगे।

21– प्रकरण में जप्तशुदा माल वजह सबूत जो पूर्व में सुपुर्दगीदार को सुपुर्दगी पर दिया गया हैं, उसका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील, अपील ना होने की दशा में निरस्त समझा जावे।

(सुनीता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेड़ता

21– निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(सुनीता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेड़ता

परिशिष्ट

गवाहान की सूची

(क) अभियोजन		
क्रमांक	गवाह का नाम	प्रकृति
पीडब्लयू–1	सलीम मोहम्मद	गवाह
पीडब्लयू–2	सफी मोहम्मद	गवाह
पीडब्लयू–3	रूस्तम खान	ताईद एफ.आई.आर.
पीडब्लयू–4	बलदेव राम	मौतबीर नक्शा मौका
पीडब्लयू–5	जगदीश सिंह	मौतबीर नक्शा मौका
पीडब्लयू–6	नरेश कुमार	गवाह

(ख) प्रतिरक्षा			
क्रमांक	गवाह का नाम	प्रकृति	गवाह द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज
–	–	–	
(ग) न्यायालय			
–	–	–	

प्रदर्श सूची

(क) अभियोजन			
क्रमांक	प्रदर्श संख्या	दस्तावेज का नाम	प्रदर्शित करवाने वाले/साबित करने वाले/हस्ताक्षर करने वाले गवाह का नाम
1	प्रदर्श पी–1	फर्द पंचनामा लाश	सलीम मोहम्मद (PW–1), सफी मोहम्मद (PW–2), रूस्तम खान (PW–3), जगदीश सिंह (PW–5)
2	प्रदर्श पी–2	नक्शा मौका व हालात मौका	सलीम मोहम्मद (PW–1), रूस्तम खान (PW–3), जगदीश सिंह (PW–5)
3	प्रदर्श पी–3	फर्द जप्ती क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल 0220	सलीम मोहम्मद (PW–1), रूस्तम खान (PW–3), जगदीश सिंह (PW–5)
4	प्रदर्श पी–4	फर्द सुपुर्दगीनामा लाश मृतक दरियाव	सफी मोहम्मद (PW–2), रूस्तम खान (PW–3), जगदीश सिंह (PW–5)
5	प्रदर्श पी–5	फर्द सूरतेहाल लाश मृतक दरियाव	सफी मोहम्मद (PW–2), रूस्तम खान (PW–3), जगदीश सिंह (PW–5)
6	प्रदर्श पी–6	तहरीरी रिपोर्ट	रूस्तम खान (PW–3), जगदीश सिंह (PW–5)
7	प्रदर्श पी–7	पुलिस बयान धारा 161	जगदीश सिंह (PW–5)

		सीआरपीसी रूस्तम	
8	प्रदर्श पी–8	आई.आर. बाबत लिखित पत्र	जगदीश सिंह (PW–5), डॉ. बदलदेव राम (PW–4)
9	प्रदर्श पी–9	पी.एम.आर. बाबत लिखित पत्र	जगदीश सिंह (PW–5), डॉ. बदलदेव राम (PW–4)
10	प्रदर्श पी–10	शव के पोस्टमॉर्टम हेतु तहरीर	जगदीश सिंह (PW–5)
11	प्रदर्श पी–11	चोट प्रतिवेदन सम्पतलाल	डॉ. बदलदेव राम (PW–4)
12	प्रदर्श पी–12	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट	डॉ. बदलदेव राम (PW–4)
13	प्रदर्श पी–13	प्रथम सूचना रिपोर्ट	जगदीश सिंह (PW–5)
14	प्रदर्श पी–14	फर्द जप्ती कार आरजे–19–सीए–7417	जगदीश सिंह (PW–5)
15	प्रदर्श पी–15	फर्द जप्ती असल आर.सी. कार	जगदीश सिंह (PW–5)
16	प्रदर्श पी–16	मालखाना की प्रमाणित प्रति	जगदीश सिंह (PW–5)
17	प्रदर्श पी–17	मूल आर.सी.	जगदीश सिंह (PW–5)
18	प्रदर्श पी–18 व 19	आमद व रवानगी की प्रमाणित प्रति	जगदीश सिंह (PW–5)
19	प्रदर्श पी–20	नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट	जगदीश सिंह (PW–5)
20	प्रदर्श पी–21	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट दुर्घटनाग्रस्त कार व मोटरसाइकिल	जगदीश सिंह (PW–5)

प्रतिरक्षा			
क्रमांक	प्रदर्श संख्या	दस्तावेज का नाम	प्रदर्शित करवाने वाले/साबित करने वाले/हस्ताक्षर करने वाले गवाह का नाम
(ग) न्यायालय			
–	–	–	